
लेखे एक नज़र में

2011-12

विषय सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां.....	9
वित्तीय विवरण	14
प्राप्तियां	17
व्यय	21
ऋण और अन्य देयताएं	25
विनियोग लेखे	30
परिशिष्ट.....	35
1. दस वर्षीय सारांश	37
2. करेतर राजस्वों का विवरण	39
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण.....	40
4. ₹1,000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय	41
5. योजनेतर व्यय का विवरण	45
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	47
7. आर्थिक सहायताओं का विवरण	53
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय.....	57
9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा.....	72
10. ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	73

लेखे एक नज़र में

2011-12

भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का दायित्व है। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों और गैर-सिविल मंत्रालयों अर्थात् रक्षा, डाक और रेलवे के लेन देनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे तैयार किए जाते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 114 में निर्धारित किया गया है कि “भारत की समेकित निधि से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राशि को छोड़कर कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी”। विनियोग लेखे संसद द्वारा विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विनियोगों का सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मूल मांग और अंतिम विनियोग और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। सभी सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों को शामिल करके विनियोग लेखे संसद में पेश करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा समेकित किए जा रहे हैं। गैर सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखे सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान संघ सरकार के वित्त लेखे महालेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए। विनियोग लेखे सिविल मंत्रालयों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें 5 विनियोग और 94 अनुदान शामिल हैं।

लेखे एक नज़र में वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) जिनमें सरकार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाविष्ट होते हैं, में दिए गए ब्योरेवार वित्तीय निष्पादन का सार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा*


वर्ष 2011-2012 के दौरान, कुल प्राप्तियां जिनमें उधार की राशियां शामिल हैं ₹1,304,365 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्तियां ₹884,900 करोड़ थीं जिनमें से ₹255,414 करोड़ (28.86%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹629,486 करोड़ था। सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां (निवल अंतरण) ₹788,096 करोड़ थीं।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹1,304,365 करोड़ था। इसमें से, राजस्व व्यय ₹1,145,785 करोड़ (88%) और पूंजीगत व्यय ₹158,580 करोड़ (12%) था। कुल व्यय में योजना व्यय और योजनेतर व्यय का भाग क्रमशः 32% (₹412,375 करोड़) और 68% (₹891,980 करोड़) था।


वित्तीय विशेषताएं 2011-2012 (₹ करोड़)					
विवरण	संशोधित	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि	
	अनुमान 2011-2012	2011-2012	2010-2011		
1. राजस्व प्राप्तियां	766,989	751,158	788,471	5%	
2. कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	642,252	629,486	569,869	10%	
3. करेतर राजस्व	124,737	121,672	218,602	(-44%)	
4. पूंजीगत प्राप्तियां	29,751	36,938	35,266	5%	
5. कर्जों की वसूलियां	14,258	18,850	12,420	52%	
6. अन्य प्राप्तियां	15,493	18,088	22,846	21%	
7. कुल प्राप्तियां (1+4)	796,740	788,096	823,737	(-4%)	
8. योजनेतर व्यय	892,116	891,990	818,263	9%	
9. राजस्व लेखे पर	815,740	812,049	726,491	12%	
10. ब्याज अदायगियां	275,618	273,150	234,022	17%	
11. पूंजीगत लेखे पर	76,376	79,941	91,772	13%	
12. योजना व्यय	426,604	412,375	379,065	9%	
13. राजस्व लेखे पर	346,200	333,736	314,232	6%	
14. पूंजीगत लेखे पर	80,404	78,639	64,833	21%	
15. कुल व्यय (8+12)	1,318,720	1,304,365	1,197,328	9%	
16. राजस्व व्यय (9+13)	1,161,940	1,145,785	1,040,723	10%	
17. जिसका, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	137,505	132,591	87,487	52%	
18. पूंजीगत व्यय (11+14)	156,780	158,580	156,605	1%	
19. राजस्व घाटा (16-1)	394,951	394,627	252,252	56%	
20. प्रभावी राजस्व घाटा	257,446	261,036	164,765	59%	
21. राजकोषीय घाटा [15-7]	521,980	516,269	373,591	38%	
22. प्राथमिक घाटा (21-10)	246,362	243,119	139,569	74%	

*इस दस्तावेज में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़े ('वित्तीय विवरण' और 'ऋण और अन्य देयताएं' अध्यायों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेजों के अनुसार निवलित किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार का सकल कर राजस्व ₹216,266 करोड़ [2002-03] से लगभग चार गुना बढ़कर ₹884,900 करोड़ [2011-12] हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, वर्ष 2011-12 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 9.93% था। करेतर राजस्व जोकि वर्ष 2002-03 में सकल घरेलू उत्पाद का 3% था वह वर्ष 2011-12 में कम होकर 1.37% हो गया है।




राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में, यह सकल घरेलू उत्पाद का 12.86% था जो कि पिछले वर्ष 13.56% था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.78% था।



लेखे एक नज़र में

केन्द्र की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 60% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹516,269 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹394,627 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.79% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.42% था।

भारत सरकार का घाटा



घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

₹516,269 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से ₹553,186 करोड़ के आंतरिक ऋण और ₹12,449 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाया गया संसाधन घाटे से अधिक होने के कारण रोकड़ शेष में ₹15,990 करोड़ की वृद्धि हुई।

घाटे का वित्तपोषण (₹ करोड़)				
विवरण	2011-12		2010-11	
आंतरिक ऋण	553,186	107%	329,725	88%
बाजार कर्ज	436,211	85%	325,414	99%
खजाना बिल	126,866	25%	7,759	2%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	(-11,988)	(-2%)	(-7,726)	(-2%)
अन्य	2,097	0%	4,278	1%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	12,449	2%	23,556	6%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-15,990)	(-3%)	9,167	3%
लोक लेखा	(-33,376)	(-6%)	11,143	3%
कुल वित्तपोषण	516,269	100%	373,591	100%


ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹4,063,177 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹3,495,929 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹567,248 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹3,400,710 करोड़ था। वर्ष 2011-12 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹3,939,012 करोड़ था और कुल देयताएं ₹3,998,476 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-11	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-12	वृद्धि/कमी
ऋण*	2,833,462	4,063,177	3,495,929	3,400,710	567,248
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	449,563	372,828	358,502	463,889	14,326
ब्याज वाली अन्य देयताएं	70,421	44,176	40,184	74,413	3,992
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	58,340	156,893	155,769	59,464	1,124
कुल ऋण और अन्य देयताएं	3,411,786	4,637,074	4,050,384	3,998,476	586,690

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2002-03 में ₹1,216,757 करोड़ था वह वर्ष 2011-12 में ढाई गुना होकर ₹3,553,519 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2002-03 में सकल घरेलू उत्पाद का 49.3% था वह घटकर वर्ष 2011-12 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 39.87% हो गया। वर्ष 2011-12 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 36.25% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 3.62% था।

भारत सरकार का ऋण



प्राप्तियों और व्यय, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

*बाह्य ऋण (₹170,088 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹322,897 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹3,553,519 करोड़ होती।

**31-3-2012 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता ₹982,666 करोड़ है। इसमें से, ₹517,277 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹1,500 करोड़ का निवेश आईआईएफसीएल में किया गया है और इस प्रकार इस लेखे में ₹463,889 करोड़ की निवल बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2011-12 के दौरान, सरकार ने ₹788,096 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण का निवल) का राजस्व एकत्रित किया और ₹4,061,564 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, ₹4,849,660 करोड़ थीं। इसमें से, ₹3,495,929 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹1,304,365 करोड़ सरकार के चालू कार्यकलापों पर व्यय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, भारत की समेकित निधि में ₹49,366 करोड़ की कमी आई जिसने सरकार के रोकड़ शेष में ₹15,990 करोड़ की वृद्धि हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग (₹ करोड़)					
	स्रोत			अनुप्रयोग	
	2011-12	2010-11		2011-12	2010-11
राजस्व	788,096	823,737	व्यय	1,304,365	1,197,328
कर	629,486	569,869	योजना	412,375	379,065
करेतर	121,672	218,602	योजनेतर	891,990	818,263
ऋणोत्तर पूंजी	36,938	35,266	ब्याज अदायगी	273,150	234,022
अन्य स्रोत	4,012,198	3,188,366	अन्य अनुप्रयोग	3,495,929	2,814,774
नया ऋण	4,061,564	3,168,055	ऋण की पुनर्अदायगी	3,495,929	2,814,774
आंतरिक*	4,035,530	3,132,725	आंतरिक	3,482,343	2,803,000
बाह्य	26,034	35,330	बाह्य	13,586	11,774
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-)15,990	9,167			
लोक लेखा	(-)33,376	11,143			
जोड़	4,800,294	4,012,102	जोड़	4,800,294	4,012,102

पिछले वर्ष की तुलना में, सरकार की प्राप्तियों में 10% की वृद्धि हुई। करेतर प्राप्तियों में 44% की कमी आई जिसके कारण सरकार की प्राप्ति में कुल 4% की वृद्धि हुई। सरकारी व्यय में 9% की वृद्धि हुई। जबकि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल 10% जबकि पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 1% की मामूली वृद्धि हुई। योजना व्यय में 9% की वृद्धि हुई और योजनेतर व्यय में 9% की वृद्धि हुई।

* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियों का निवल (वर्ष 2011-12 के दौरान ₹1,613 करोड़)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत करना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,
- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और

लेखे एक नज़र में

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यहासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रूपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रूपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात् ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात् "8680 - विविध सरकारी लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात् उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यतः बैंको से) द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

योजना एवं योजनेतर व्यय

योजनेतर व्यय एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनिवार्य स्वरूप के सरकार के सभी व्यय अर्थात् ब्याज अदायगियां, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पेंशन प्रभार और सांविधिक अंतरण को शामिल करने के लिए किया जाता है। व्यय का एक भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों अर्थात् रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित होता है। अन्य सभी व्यय योजना व्यय होता है। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

लेखे एक नज़र में

संशोधित अनुमान/बजट अनुमान/वास्तविक

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्त प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधन से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्त (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्दायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेन देनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- ❖ उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- ❖ लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- ❖ उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ❖ ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- ❖ वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले सवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और सविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं। लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और सवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ अल्प बचत
- ❖ आरक्षित निधियां
- ❖ जमा और अग्रिम
- ❖ उचंत और विविध
- ❖ प्रेषण
- ❖ रोकड़ शेष

लेखे एक नज़र में

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़)		
	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
देयताएं	3,988,159	3,405,813
क. लोक ऋण	3,400,710	2,824,754
1. आंतरिक ऋण	3,230,622	2,667,115
2. बाह्य ऋण	170,088	157,639
ख. आकस्मिकता निधि	500	500
ग. लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	586,949	580,559
1. आरक्षित निधियां	27,291	21,617
2. जमा और अग्रिम	95,769	101,246
3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	463,889	457,696
परिसम्पत्तियां	3,988,159	3,405,813
क. रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	51,024	17,865
1. रोकड़ शेष	17,440	1,449
2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	33,584	16,416
ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	567,055	508,416
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	253,377	328,307
2. कर्ज तथा अग्रिम	228,656	219,666
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	144,352	145,019
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	86,083	83,637
3. उचत और विविध	83,242	(-)48,547
ग. संचित घाटा*	3,370,080	2,879,532

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2011-12)

*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण (₹ करोड़)		
	2011-12	2010-11
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	910,277	932,686
कर राजस्व	633,704	574,005
करेतर राजस्व	273,611	356,008
सहायता अनुदान	2,962	2,673
अन्य प्राप्तियां	18,088	22,846
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	401	1,676
अन्य	17,687	21,170
कुल प्राप्तियां	928,365	955,532
व्यय		
राजस्व लेखा	1,305,195	1,186,115
सामान्य सेवाएं	521,326	454,561
सामाजिक सेवाएं	111,577	121,965
आर्थिक सेवाएं	492,398	449,838
सहायता अनुदान	179,894	159,751
पूंजीगत लेखा	109,757	103,742
सामान्य सेवाएं	76,178	70,933
सामाजिक सेवाएं	4,583	3,968
आर्थिक सेवाएं	28,996	28,841
विविध	3,584	4,541
कुल व्यय	1,418,536	1,294,398
पूर्व अवधि समायोजन	377	2,398
घाटा*	490,548	338,866

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2011-12)

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

लेखे एक नज़र में


प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण (₹ करोड़)		
	2011-12	2010-11
प्राप्तियां	5,649,026	4,868,813
भारत की समेकित निधि	5,028,360	4,161,891
कर राजस्व	633,704	574,005
करेतर राजस्व	273,610	356,008
सहायता अनुदान और अंशदान	2,962	2,673
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18088	22,846
लोक ऋण	4,063,177	3,177,106
कर्ज तथा अग्रिम	36,818	29,253
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	620,667	706,922
अल्प बचतें, भविष्य निधि	372,828	403,485
आरक्षित निधियां	108,076	120,833
जमा तथा अग्रिम	128,283	157,701
उचंत और विविध	4,894	18,762
प्रेषण	6,586	6,141
संवितरण	5,633,036	4,877,980
भारत की समेकित निधि	4,978,993	4,182,201
सामान्य सेवाएं	521,326	454,561
सामाजिक सेवाएं	111,577	121,965
आर्थिक सेवाएं	492,398	449,838
सहायता अनुदान और अंशदान	179,894	159,751
पूंजीगत परिव्यय	139,465	140,671
ऋण की पुनर्दायगी	3,495,929	2,814,774
कर्ज तथा अग्रिम	38,404	40,641
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	654,043	695,779
अल्प बचतें, भविष्य निधि	358,502	409,615
आरक्षित निधियां	102,402	119,886
जमा तथा अग्रिम	133,761	146,269
उचंत और विविध	56,476	14,209
प्रेषण	2,902	5,800
संवितरणों पर प्राप्तियां	15,990	(-)9,167
प्रारंभिक रोकड़ शेष	1,449	10,616
अंत रोकड़ शेष	17,439	1,449

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2011-12)

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों का लगभग 80% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (15%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (5%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत बने रहे जिनका कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों में लगभग 70% अंशदान रहा। ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (28%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (15%), आयकर (14%), सीमा शुल्क (13%), सेवा कर (9%), ब्याज (4%) और लाभांश (7%) हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2011-12)



वर्ष 2011-2012 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹788,096 करोड़ थीं- 10% की वृद्धि के साथ कर राजस्व ₹569,869 करोड़ से बढ़कर ₹629,486 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व 44% कमी के साथ ₹218,602 करोड़ से घटकर ₹121,672 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹13,627 करोड़ शामिल हैं।

ऋणोत्तर प्राप्तियां (₹ करोड़)			
विवरण	2011-12	2010-11	वृद्धि
कर राजस्व	629,486	569,869	11 %
करेतर राजस्व	121,672	218,602	(-44%)
अन्य प्राप्तियां	36,938	35,266	0%
कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां	788,096	823,737	(-) 4%

लेखे एक नज़र में

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2010-11 के ₹569,869 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹629,486 करोड़ हो गया - इसमें ₹59,617 करोड़ [10%] की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धियां सेवा कर (37%), आय कर (18%), धन कर (15%), निगम कर (8%), सीमा शुल्क (10%), संघ उत्पाद शुल्क (5%), में देखी गई जबकि कमी प्रतिभूति लेनदेन कर (21%) और बैंकिंग रोकड़ लेनदेन (100%) में देखी गई।

कर राजस्व (₹ करोड़)							
विवरण	2011-12			2010-11			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित*	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. निगम कर	322,816	100,720	222,096	298,688	85,851	212,837	8%
2. आय कर	164,525	51,161	113,364	139,102	45,367	93,735	18%
3. ब्याज कर	3	-	3	4	-	4	(-36%)
4. अनुषंगी हितलाभ कर	174	-	174	168	-	168	4%
5. व्यय कर	21	-	21	29	-	29	(-29%)
6. धन कर	787	389	398	687	176	511	15%
7. प्रतिभूति लेनदेन	5,656	-	5,656	7,155	-	7,155	(-21%)
8. बैंकिंग रोकड़ लेनदेन	0	-	0	158	-	158	(-100%)
9. सीमा शुल्क	149,328	44,367	104,961	135,813	38,408	97,405	10%
10. संघ उत्पाद शुल्क	144,901	28,709	116,192	137,701	27,940	109,761	5%
11. सेवा कर	97,509	30,068	67,441	71,016	21,561	49,455	37%
12. अन्य कर	671	-	671	569	-	569	18%
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	2,507	-	2,507	1,982	-	1,982	41%
14. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-3,998)	-	(-3,998)	(-3,900)	-	(-3,900)	3%
कुल कर राजस्व	884,900	255,414	629,486	789,172	219,303	569,869	12%

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2010-11 में ₹218,602 करोड़ था वह 2011-12 के दौरान घटकर ₹121,672 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹96,930 करोड़ [44%] की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)				
क्र.सं.	विवरण	2011-12	2010-11	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	20,252	19,718	3%
2.	लाभांश और लाभ	50,608	47,991	5%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	1,015	1,097	(-8%)
4.	अन्य करेतर राजस्व	49,797	149,796	(-66%)
	कुल करेतर राजस्व	121,672	218,602	(-44%)

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज मुख्यतः संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान किए गए कर्जों से प्राप्त होता है। यह अकेले कुल ब्याज प्राप्तियों का 25% है। रेलवे (14%) और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (15%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹40,054 करोड़ थीं पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹4,755 करोड़ (12%) की वृद्धि हुई। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में ₹5903 करोड़ की भारी वृद्धि हुई और रेलवे से ब्याज प्रप्ति में ₹714 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियां जोकि 2010-11 में ₹5,966 करोड़ थीं उनमें भारी कमी आई है और ये 2011-12 में ₹1968 करोड़ रही हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ब्याज प्राप्तियों में भी ₹456 करोड़ की मामूली कमी आई है।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10,040	10,496	11,443	12,204
2.	रेलवे	5,630	4,916	5,518	4,692
3.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	6,064	161	162	163
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	1,968	5,966	5,382	2,314
5.	अन्य	16,352	13,760	13,344	11,473
	कुल	40,054	35,299	35,849	30,846

लाभांश

वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ₹50,609 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि 2010-11 के दौरान प्राप्त लाभांश की अपेक्षा ₹2,618 करोड़ अधिक है।

लाभांश - मुख्य स्रोत (₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	29,034	24,695	20,198	19,788
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,138	1,031	929	829
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	5,029	3,354	3,981	2,944
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	15,009	18,759	25,009	15,011

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹401 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रीमियम से ₹13,627 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	401	1,676	2,233	22
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	13,627	20,601	21,366	-
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	4,060	569	983	544
कुल		18,088	22,846	24,582	566

* संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

व्यय

वर्ष 2011-2012 के दौरान, सरकार का कुल व्यय ₹1,304,365 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹107,037 करोड़ [9%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹1,145,785 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹105,062 करोड़ [10%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹158,580 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹1,975 करोड़ [1%] की अल्प वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 12% था।

व्यय (₹ करोड़)							
विवरण	2011-12			2010-11			वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	
राजस्व	333,736	812,049	1,145,785	314,232	726,491	1,040,723	10%
सामान्य सेवाएं	615	490,431	491,046	486	428,429	428,915	14%
सामाजिक सेवाएं	86,733	20,846	107,579	81,219	36,846	118,065	(-9%)
आर्थिक सेवाएं	120,181	247,085	367,266	124,822	209,170	333,992	10%
सहायता अनुदान	126,207	53,687	179,894	107,705	52,046	159,751	13%
पूंजीगत	78,639	79,941	158,580	64,833	91,772	156,605	1%
सामान्य सेवाएं	4,036	72,143	76,179	762	70,171	70,933	7%
सामाजिक सेवाएं	4,377	197	4,574	3,894	75	3,969	15%
आर्थिक सेवाएं	50,120	-299	49,822	41,585	15,133	56,718	(-12%)
कर्ज एवं अग्रिम	20,106	7,900	28,005	18,592	6,393	24,985	12%
कुल व्यय	412,375	891,990	1,304,365	379,065	818,263	1,197,328	9%


₹158,580 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय में से ₹130,575 करोड़ (82%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (18%) के रूप में थे।

पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)							
	परिसंपत्ति निर्माण		ऋण की पुनर्अदायगी*		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2001-02	29,771	49%			31,071	51%	60,842
2002-03	29,101	39%	13,766	18%	31,668	42%	74,535
2003-04	35,678	32%	46,211	42%	28,739	26%	110,628
2004-05	40,549	36%	32,675	29%	40,107	35%	113,331
2005-06	53,869	81%			12,493	19%	66,362
2006-07	58,759	85%			10,019	15%	68,778
2007-08	106,940	90%			11,298	10%	118,238
2008-09	75,572	84%			14,586	16%	90,158
2009-10	97,032	86%			15,346	14%	112,378
2010-11	131,620	84%			24,985	16%	156,605
2011-12	130,575	82%			28,005	18%	158,580

*नए ऋण में शामिल न किए गए ऋण की पुनर्अदायगी को दर्शाता है।

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹567,225 करोड़ (कुल व्यय का 43%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹112,153 करोड़ (कुल व्यय का 9%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹417,088 करोड़ (कुल व्यय का 32%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹179,894 करोड़ (कुल व्यय का 14%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹28,005 करोड़ (कुल व्यय का 2%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।



योजना व्यय

2011-12 के दौरान योजना व्यय ₹412,375 करोड़ था। पिछले वर्ष के ₹379,065 करोड़ की तुलना में, योजना व्यय में 9% की वृद्धि हुई।

योजनेतर व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के ₹818,263 करोड़ की तुलना में ₹891,990 करोड़ था जो 9% अधिक था। अकेले ब्याज अदायगियां (₹273,150 करोड़) ही कुल योजनेतर व्यय का 31% लेखाबद्ध की गईं। रक्षा व्यय (₹170,913 करोड़) और आर्थिक सहायताएं (₹217,903 करोड़) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

₹1,000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर हुए व्यय को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक (₹ करोड़)					
विवरण	2011-12		2010-11		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	273,150	31%	234,022	29%	17%
आर्थिक सहायताएं	217,903	24%	177,747	22%	23%
रक्षा	170,913	19%	154,115	19%	11%
पेंशन	61,166	7%	57,405	7%	7%
पुलिस	33,474	4%	32,208	4%	4%
सहायता अनुदान	53,687	6%	52,046	6%	3%
कर्ज	7,900	1%	6,393	0%	24%
अन्य	73,797	8%	104,327	13%	(-)29%
कुल	891,990	100%	818,263	100%	9%

ब्याज अदायगियों में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि हुई जबकि रक्षा और आर्थिक सहायता पर व्यय में क्रमशः 11% और 23% की वृद्धि हुई। पेंशनों (₹61,616 करोड़) और पुलिस (₹33,474 करोड़) पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 7% और 4% की वृद्धि हुई। कर्जों पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि हुई।

आर्थिक सहायताएं

आर्थिक सहायताओं पर व्यय वर्ष 2010-11 के ₹177,747 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹217,902 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमशः ₹72,822 करोड़, ₹70,032 करोड़ तथा ₹68,481 करोड़ थी।

मुख्य आर्थिक सहायताएं (₹ करोड़)			
विवरण	2011-12	2010-11	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	72,822	63,844	14%
उर्वरक	70,032	65,837	6%
पेट्रोलियम	68,481	38,371	78%
अन्य	6,567	9,695	(-)32%
कुल	217,902	177,747	23%

खाद्य आर्थिक सहायता में 14% और उर्वरक आर्थिक सहायता में 6% की वृद्धि हुई जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता में 78% की विलक्षण वृद्धि हुई। अन्य मदों पर ब्याज सहायता बिल में यद्यपि, 32% की कमी आई। ब्याज सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹374 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण (₹3,283 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता थी। अन्य आर्थिक सहायता दूसरी ओर, 2010-11 में ₹5,020 करोड़ से अत्यधिक कम होकर (2011-12 में) ₹1,516 करोड़ हो गई।

संघ सरकार के योजनेतर व्यय के ब्योरो को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-5 पर है। वेतन एवं भत्ते योजनेतर व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

लेखे एक नज़र में

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, सरकार ने ₹38,404 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्अदायगी के रूप में ₹36,818 करोड़ प्राप्त किए। इस प्रकार, अग्रिमों के स्टॉक में ₹1,586 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹230,436 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार (₹ करोड़)						
क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-11	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 12	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	144,170	10,016	10,638	143,548	(-)622
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	849	72	117	804	(-)45
3.	विदेशी सरकारें	4,232	1,039	293	4,978	746
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	78,518	27,064	25,372	80,210	1,692
5.	सरकारी कर्मचारी	1,081	213	398	896	(-)185
	कुल	228,850	38,404	36,818	230,436	1,586

निवेश

वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹29,708 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹364,571 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश (₹ करोड़)		
क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	6,479
2.	सरकारी कंपनियां	246,313
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	53,371
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	58,129
5.	सहकारी समितियां	279
	कुल	364,571


1. आर्थिक सहायता के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।
2. योजनागत और योजनेतर व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2011 को सरकार की कुल देयताएं ₹3,998,476 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹3,230,623 करोड़ (81%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹170,088 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹597,765 करोड़* (15%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं



31 मार्च, 2012 को कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹3,400,710 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹2,833,462 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 17% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2012 को चालू विनिमय दर पर ₹2,553,519 करोड़ था जबकि 31.3.2011 को यह ₹2,945,992 करोड़ था।

*31.3.2012 को लोक लेखे में केंद्र सरकार की कुल देयता ₹1,116,542 करोड़ थी। इसमें से, ₹517,227 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹1,500 करोड़ आईआईएफसीएल में निवेश किए गए और इस प्रकार इस संबंध में ₹597,765 करोड़ की बकाया निवल देयता है।

लेखे एक नज़र में

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण का कुल स्टॉक, ₹2,675,823 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹3,230,623 करोड़ हो गया। बाजार कर्ज में ₹436,211 करोड़ की वृद्धि होकर ₹ 2,516,952 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)					
स्रोत	01 अप्रैल 11	वृद्धियां	उमोचन	31 मार्च 12	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	2,080,741	509,796	73,585	2,516,952	436,211
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	29,315	1,765	1,455	29,625	310
364 दिन के खजाना बिल	42,478	90,382	42,482	90,378	47,900
14 दिन के खजाना बिल	103,100	2,104,391	2,109,691	97,800	(-)5300
विक्रेय प्रतिभूतियां	76,818	0	0	76,818	0
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	73,569	0	9,000	64,569	(-)9000
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	34,562	0	1,303	33,259	(-)1303
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	0	0	0	0	0
अन्य	235,240	1,330,808	1,244,827	321,222	85,982
कुल आंतरिक ऋण	2,675,823	4,037,142	3,482,343	3,230,622	554,799

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। 31.3.2012 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं था।

बाह्य ऋण

2011-12 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹170,088 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 4% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2012 की स्थिति के अनुसार] यह ₹322,897 करोड़ है - इसमें 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹278,877 करोड़ में ₹44,020 करोड़ की वृद्धि हुई।

ब्याजयुक्त बाजार कर्जों की परिपक्वता विवरणिका परिशिष्ट-9 पर है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01-अप्रैल-11	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-12	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	51,761	7,224	4,324	54,661	2,900	136,822
जापान	31,362	8,599	3,754	36,207	4,845	76,401
एशियाई विकास बैंक	29,806	4,528	1,084	33,250	3,444	38,560
जर्मनी	1,930	1,491	578	2,843	913	13,765
आई बी आर डी	37,678	3,492	2,392	38,778	1,100	45,328
आई एफ ए डी	516	149	54	611	95	1,662
संयुक्त राज्य अमेरिका	(-515)	343	55	(-227)	288	1,516
अन्य	5,101	209	1,345	3,965	(-1,136)	8,843
कुल बाह्य ऋण	157,639	26,035	13,586	170,088	12,449	322,897

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	01-अप्रैल-11	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-12	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	681	98	22	757	76
जर्मनी	यूरो	189	22	9	202	13
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	878	62	50	890	12
आईडीए	अमरीकी डालर	350	0	25	325	(-25)
आईडीए	एसडीआर	1,461	98	41	1,518	57
जापान	येन	120,445	9991	6,126	124,310	3865
रूसी परिसंघ	₹	731	0	29	702	(-29)
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	151	(-9)	19	123	(-28)

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2012 को लोक लेखे में ₹597,765 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹538,302 करोड़ की थीं और शेष ₹59,463 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-11	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-12	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	449,563	372,828	358,502	463,889	14,326
अन्य ब्याज वाली	70,421	44176	40,184	74,413	3992
आरक्षित निधि	473	28,966	27,047	2,392	1,919
जमा	69,948	15,210	13,137	72,021	2,073
अन्य बिना ब्याज वाली	58,340	156,893	155,770	59,463	1,123
आरक्षित निधियां	21,143	79,110	75,355	24,898	3755
जमा	37,197	77,783	80,415	34565	(-2632)
कुल	578,324	573,897	554,456	597,765	1,9441

लेखे एक नज़र में

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹72,388 करोड़ था जिसमें से ₹17,453 करोड़ का उपयोग बचत जमाओं संबंधी अदायगी के लिए किया गया था। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ₹10,302 करोड़ की पुनर्अदायगी भी की गई थी। इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमशः ₹69,264 करोड़ और ₹72,633 करोड़ था। इस प्रकार, इस निधि का शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹41,051 करोड़ था वह वर्ष के अंत में घटकर ₹59,864 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-11	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-12	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	787,099	291,207	218,819	859,487	72,388
संग्रहण	787,099	221,913	218,819	790,193	3,094
बचत जमा	393,893	167,276	184,729	376,440	(-)17,453
बचत प्रमाण पत्र	214,113	17,981	22,308	209,786	(-)4,327
लोक भविष्य निधि	179,093	36,656	11,782	203,967	24,874
निवेश से आय		69,294		69,294	69,294
बहिर्वाह	746,048	29,900	83,475	799,623	53,575
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	746,048	29,900	10,812	726,960	(-)19,088
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	218,485	10,302	0	208,183	(-)10,302
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	526,063	19,598	10,812	517,277	(-)8,786
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	1,500	0	0	1,500	0
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय			72,663	72,663	72,663
शेष	41,051	261,307	135,344	59,864	18,813

31 मार्च, 2012 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल स्टॉक में ₹859,487 करोड़ की देयताएं थीं, जिसमें से ₹376,440 करोड़ बचत जमाओं के लिए, ₹209,786 करोड़ बचत प्रमाण पत्रों के लिए और ₹203,967 करोड़ लोक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2011-12 के अंत में निधि का निवेश ₹799,623 करोड़ था, जिसमें से ₹517,277 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹208,183 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष ₹1,500 करोड़, अन्य लिखतों में निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्दायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था वह ₹203,506 करोड़ थी। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार ₹192,501 करोड़ की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2011-12 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹40,218 करोड़ है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.45% है। वर्ष 2010-11 के दौरान वसूल किए गए ₹530 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹469 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां (₹ करोड़)				
विवरण	31-मार्च-11	31-मार्च-12	वृद्धि/कमी	
I भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां	54,030	67,319	13,289	
II सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां	7,701	10,795	3,094	
III मूलधन की पुनर्दायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	89,942	113,777	23,835	
IV कंपनियों/निगमों को पूर्तियों के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	610	610	—	
V रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—	—	
VI विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई सविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	—	—	—	
VII अन्य	—	—	—	
कुल	152,283	192,501	40,218	

लेखे एक नज़र में

विनियोग लेखे

वर्ष 2011-12 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 99 अनुदानों के अंतर्गत ₹4,417,616 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹517,941 के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹4,935,557 करोड़ कर दिया गया। ₹4,935,557 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹251,718 करोड़ [5%], अधिक था।

इस प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹4,762,240 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹34,302 करोड़ की बचत सहित ₹3,840,960 करोड़ था जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय, ₹139,015 करोड़ की बचत सहित ₹921,280 करोड़ था।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार (₹ करोड़)					
	मूल प्रावधान (1)	अंतिम प्रावधान (2)	अंतर (3)=(2)-(1)	वास्तविक व्यय (4)	अंतर (5)=(4)-(2)
प्रभारित	3,480,787	3,875,262	394,475	3,840,960	(-) 34,302
स्वीकृत	936,829	1,060,295	123,466	921,280	(-) 139,015
कुल	4,417,616	4,935,557	517,941	4,762,240	(-) 173,317

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 19% था, शेष 81% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्दायगी (₹3,495,929 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹287,182 करोड़) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹53,968 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.90% था। विनियोग - “ऋण की पुनर्दायगी” में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹1,075,223 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व भाग के प्रभारित और स्वीकृत अंश तथा पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश के अंतर्गत कुल प्रावधानों से अधिक व्यय होने के छह मामले थे। बड़ी मात्रा में अधिक व्यय अनुदान संख्या 21-रक्षा पेंशन और अनुदान संख्या- विनियोग-ब्याज अदायगियों के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्व भाग के अंतर्गत प्रावधान क्रमशः ₹3569.10 करोड़ और ₹2947.58 करोड़ अधिक हो गया।

समस्त प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
21	रक्षा पेंशन प्रभारित स्वीकृत	0.54 33999.75	- -	0.83 37568.56	- -	0.29 3568.81	- -
31	विदेश मंत्रालय	-	1391.00	-	1398.23	-	7.23
34	विनियोग-ब्याज अदायगियां प्रभारित	284234.60	-	287182.18	-	2947.58	-
97	चंडीगढ़ प्रभारित	92.82	-	112.80	-	19.98	-
100	लक्षद्वीप-	609.42	-	610.86	-	1.44	-

बचत

वर्ष 2011-12 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹179,862 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹6,545 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग सं.	विवरण	भाग	बचतें	कारण
			(₹ करोड़)	
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व स्वीकृत	1891	नीति निर्वाचन समिति, विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने की वजह से दावों के अनुपयुक्त होने के कारण।
32	आर्थिक कार्य विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	11998	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कम अभिदान दिए जाने (प्रतिभूतियों में) और उधार की नई व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्जों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निधि की आवश्यकता होने के कारण।
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व स्वीकृत	9880	केन्द्रक अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण क्योंकि कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से ऋण राहत/माफी के अंतर्गत स्कीम लागू करने की अवधि समाप्त हो गई।
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	राजस्व प्रभारित	5326	कुछ राज्य सरकारों द्वारा XIII वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी न किए जाने के कारण।
		पूँजीगत प्रभारित	3005	राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
		राजस्व स्वीकृत	8477	राज्य सरकारों द्वारा अनुरूप भाग जारी न किए जाने, परियोजनाओं को वापस लिए जाने एवं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

लेखे एक नज़र में

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
				के अंतर्गत स्कीम शुरू किए जाने में विलंब होने और राष्ट्रीय निवेश निधि के अंतर्गत विनिवेश से कम आय होने के कारण।
		पूँजीगत स्वीकृत	10000	प्रभारित भाग के स्थान पर स्वीकृत भाग के अंतर्गत गलती से प्रावधान किए जाने के कारण।
37	ऋण की पुनर्दायगी	पूँजीगत प्रभारित	28784	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत प्रतिभूतियों के कम नकदीकरण और राज्य सरकारों द्वारा निवेशों को आईटीबी से नीलामी खजाना बिलों को अंतरित किए जाने के कारण।
41	राजस्व विभाग	राजस्व स्वीकृत	8082	राज्य सरकारों से केंद्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने और राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने के कारण।
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	2031	औषधियों और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, अधिप्राप्ति अभिकरणों के साथ बिलों का निपटान न किए जाने और मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।
52	गृह मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	1828	योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने और कम दौरे किए जाने के कारण।
53	पुलिस	पूँजीगत स्वीकृत	2983	अनुसंधान, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय के आवासीय भवन संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व स्वीकृत	2335	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के अध्यापकों और आईसीटी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन के वेतनमान में सुधार के अंतर्गत वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू न किए जाने के कारण।
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	7281	पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वन और रेलवे से निकासियों के लंबित होने तथा विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण।
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	पूँजीगत स्वीकृत	3283	अव्ययित शेष उपलब्ध होने, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निधियां जुटाए जाने और सड़क स्क्व के अंतर्गत

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
				निर्माण कार्यों के लिए विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	42368	जिला ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर विनिवेश के अनुमानित संग्रहण में संशोधन किए जाने के कारण।
90	अंतरिक्ष विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	1918	स्वदेशीकरण/अग्रिम आदेशन के अंतर्गत प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रमों के लिए संघटक/ सामग्रियों एवं उप प्रणालियों को अधिप्राप्ति स्थगित किए जाने और इनसैट-4/जीसैट उपग्रहों के अंतर्गत परियोजना कार्यक्रम पर कम व्यय होने के कारण।
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	1762	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत कम मांग किए जाने/ जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण।

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदान / विनियोग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश	37
2. करेतर राजस्वों का विवरण	39
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण.....	40
4. ₹1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना	41
स्कीमों पर व्यय	
5. योजनेतर व्यय का विवरण	45
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	47
7. आर्थिक सहायताओं का विवरण	53
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	57
9. ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा	72
10. ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	73

दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
राजस्व प्राप्तियां	230803	265054	306013	347462	434387	541925	540259	572811	788,471	751,158
सकल कर राजस्व	216266	254348	304958	364649	471512	591347	603498	621368	789,172	884,900
निगम कर	46172	63562	82680	101277	144306	192911	213395	244725	298,688	322,816
आय कर	36866	41379	49258	55976	75093	102644	106046	122370	139,102	164,525
सीमा शुल्क	44852	48629	57611	65067	86327	104119	99879	83324	135,813	149,328
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	82310	90774	99125	111226	117612	123425	108402	102991	137,701	144,901
सेवा कर	4122	7891	14200	23055	37597	51301	60941	58422	71,016	97,509
केन्द्र को निवल कर राजस्व	159425	186982	224798	270264	351182	439547	443319	456536	569,869	629,486
करेतर राजस्व	71379	78072	81215	77198	83205	102378	96940	116275	218,602	121,672
व्याज प्राप्तियां	37622	38538	35714	22032	21371	21061	20717	21783	19,718	20,252
लाभांश और लाभ	21230	21160	22939	25451	29309	34500	38607	50250	47,991	50,608
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	3151	16953	66467	12226	6426	43895	6705	33194	35,266	36,938
विनिवेश से आय	3149	16632	4364	1570	0	4387	22	2233	1,676	401
व्यय	399451	472444	497682	506123	583386	712732	883956	1024488	1,197,328	1,304,365
योजना व्यय	111470	122280	132292	140638	169860	205082	275235	303393	379,065	412,375
योजनेतर व्यय	287981	350164	365390	365485	413526	507650	608721	721095	818,263	891,990
राजस्व व्यय	338682	363316	384351	439761	514608	594494	793798	911810	1,040,723	1,145,785
पूंजीगत व्यय	60769	109128	44798	66362	68778	118238	90158	112678	156,605	158,580
उधार ऋणात्मक पुनर्दायगी	(-)2523	(-)38497	663	692	-8672	1385	1077	3382	11,388	1,586
राजकोषीय घाटा	131306	123272	125202	146435	142573	126912	336992	418483	373,591	516,269
राजस्व घाटा	107879	98262	78338	92299	80221	52569	253539	338999	252,252	394,627
प्रभावी राजस्व घाटा									164,765	261,036
प्रारंभिक घाटा	13816	(-)816	(-)1732	13805	(-)7699	-44118	144788	205390	139,569	243,119
लोक ऋण (शेष)	1216757	1325909	1467242	1583957	1746207	2009755	2283900	2577645	2,945,992	3,553,519
आंतरिक ऋण	1020689	1141706	1275971	1389758	1544975	1799651	2019841	2328339	2,667,115	3,230,622
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	196068	184203	191271	194199	201232	210104	264059	249306	278,877	322,897
भारत सरकार की अन्य देयताएं	331419	333725	356037	384842	438842	466602	556235	583279	586,457	597,766
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता										
राजस्व प्राप्तियां	9.4	9.6	9.8	9.7	10.5	11.5	10.0	9.3	10.3	8.4
सकल कर राजस्व	8.8	9.2	9.8	10.2	11.4	12.5	11.1	10.1	10.3	9.9
करेतर राजस्व	2.9	2.8	2.6	2.2	2.0	2.2	1.8	1.9	2.8	1.4
व्यय	16.2	17.1	15.9	14.2	14.1	15.1	16.3	16.6	15.6	14.6
राजस्व व्यय	13.7	13.2	12.3	12.3	12.5	12.6	14.6	14.8	13.6	12.9
पूंजीगत व्यय	2.5	4.0	3.6	1.9	1.7	2.5	1.7	1.9	2.0	1.8
राजकोषीय घाटा	5.3	4.5	4.0	4.1	3.5	2.7	6.2	6.8	4.9	5.8
राजस्व घाटा	4.4	3.6	2.5	2.6	1.9	1.1	4.7	5.5	3.3	4.4
प्रभावी राजस्व घाटा									2.1	2.9
लोक ऋण	49.3	48.0	47.0	44.4	42.3	42.6	42.1	41.8	38.4	39.9
आंतरिक ऋण	41.3	41.4	40.9	39.0	37.5	38.2	37.2	37.8	34.8	36.2
बाह्य ऋण	7.9	6.7	6.1	5.4	4.9	4.5	4.9	4.0	3.6	3.6

परिशिष्ट-2

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2011-12			2010-11		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क ब्याज प्राप्तियां						
सकल	34687.21	40030.65	115	33082.88	35286.69	107
घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	8616.90	13832.22	161	8445.39	10659.11	126
ब्याज का अधित्याग	5945.72	5946.12	100	4909.56	4909.53	100
निवल	20124.59	20252.31	101	19727.93	19718.05	100
ख लाभांश और लाभ	50122.03	50608.10	101	48726.76	47991.58	98
ग संघ राज्य क्षेत्रों का कर राजस्व	1104.94	1014.53	92	1142.84	1096.90	96
घ अन्य करेतर राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं-	129.42	129.38	100	192.88	83.88	43
अन्य सामान्य सेवाएं	13936.55	9137.39	66	21461.40	19156.90	89
घटाएं- बट्टे खाते डाले गए कर्ज	2555.00	2088.09	82	1176.09	76.09	
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में						
अंशदान और वसूलियां	1000.00	0.00	0	1000.00	0.00	
निवल	10381.55	7049.30	68	19285.31	19080.81	99
सामाजिक सेवाएं	2551.78	948.04	37	730.52	771.08	106
आर्थिक सेवाएं -						
सकल	48914.22	51137.58	105	150404.06	150607.96	100
घटाएं-पीएसयू को कर्ज/ गारंटी शुल्क बट्टे आदि की छूट						
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति	17.34	19.31	111	4.50	4.47	99
निवल	48896.88	51109.18	105	147194.92	147398.85	100
कुल अन्य करेतर राजस्व	61959.61	59235.90	96	170159.26	170007.31	100
घटाएं						
वाणिज्यिक विभाग	12050.50	12401.04	103	19608.58	20211.66	103
निवल अन्य करेतर राजस्व	49909.11	46834.86	94	150550.68	149795.65	99
सहायता अनुदान और अंशदान	3476.59	2962.34	85	2755.63	2672.69	97
कुल	124737.26	121672.14	98	220148.21	218602.18	99

लेखे एक नज़र में

परिशिष्ट-3

वाणिज्यिक प्राप्तियां

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2010-11			
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	
1	सामान्य सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग	10800.00	9729.49	90.09	9000.00	9550.32	106.11
2	आर्थिक सेवाएं दिल्ली दुग्ध योजना	341.70	311.95	91.29	300.32	292.75	97.48
3	अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	432.47	383.93	88.78	285.15	237.54	83.30
4	ईंधन संरचना सुविधा *	1459.28	1346.82	92.29	1179.79	1214.20	102.92
5	ईंधन माल सूची *	1800.00	1845.25	102.51	1580.13	1599.29	101.21
6	राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	भारी पानी पूल प्रबंधन *	5900.00	5900.00	100.00	0.00	0.00	
8	बदरपुर ताप विद्युत केंद्र	315.03	420.81	133.58	288.15	151.70	52.65
9	प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	180.00	192.93	107.18	160.00	203.53	127.21
10	डाक प्राप्तियां	7522.02	7899.35	105.02	6814.59	6962.33	102.17
11	भारतीय रेल	106646.78	106245.27	99.62	97151.30	96681.02	99.52
	कुल	135397.28	134275.80	99.17	116759.43	116892.68	100.11

* इन मामलों में वास्तविक आंकड़े परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं।

परिशिष्ट-4

₹ 1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय

क्रम सं.	योजना स्कीमों	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
				(₹ करोड़)
1	कृषि मंत्रालय			
2	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1075.00	1150.00	1050.00
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1350.00	1316.00	1286.15
4	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	1150.00	1150.00	1225.51
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7810.87	7810.87	7794.09
6	नागर विमानन मंत्रालय			
7	भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी इंडिया लिमिटेड में निवेश	1200.00	1200.00	1200.00
8	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग			
9	इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन	1087.31	351.60	250.29
10	वित्त मंत्रालय			
11	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	1000.00	500.00	500.00
12	सामान्य केंद्रीय सहायता	25589.00	21831.77	20920.68
13	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	2500.00	3350.00	3153.25
14	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	1261.00	1400.00	1877.20
15	विशेष योजना सहायता	6005.00	5500.00	5758.84
16	विशेष केंद्रीय सहायता	9571.00	8370.00	8370.00
17	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	14242.00	7460.00	7459.01
18	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8382	6607.61	6546.08
19	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-राज्य संघटक	6990.00	7280.00	7187.30
20	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनः पूंजीकरण	6000.00	12000.00	12000.00
21	भारत को इक्विटी पूंजी-अवसरचना वित्त कंपनी लि.	1000.00	500.00	500.00
22	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	12522.00	7450.00	7337.78
23	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
24	एनआरएचएम, केंद्रीय रूप से प्रायोजित	19229.33	16653.05	16025.38
25	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	1543.59	918.91	834.32
26	अस्पताल संस्थाओं का पुनर्विकास	1119.05	1091.95	900.42

जारी.....

लेखे एक नज़र में

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
				(₹ करोड़)
22	गृह मंत्रालय	2975.34	1367.91	1349.79
23	भारत के महापंजीयक कार्यालय की स्कीम (एन पी आर सहित)	2173.90	731.50	277.79
24	ई पी सी के माध्यम से सीपीएफएस के लिए पुलिस आवास कार्यालय भवन, पुलिस	1295.90	1740.93	1010.26
25	आईपीबी, आईबीबी, तटीय, पुलिस मुख्य निर्माण कार्य	1122.00	1121.50	729.04
26	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	10380.00	10380.00	9886.69
27	विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	21000.00	21000.00	20839.54
28	सर्व शिक्षा अभियान	1200.00	1200.00	1200.00
29	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2323.90	2423.90	2499.81
30	उत्कृष्टता के मापदंड के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 स्कूलों की स्थापना करने संबंधी स्कीम	1200.00	1200.00	1088.39
31	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता डीएचई	1980.00	1980.00	2077.00
32	आई आई टी - डी एच ई	1100.00	1100.00	1204.00
33	अन्य डीएचई	3214.50	3214.50	3274.17
34	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1037.00	1215.95	1057.06
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम			
35	अल्पसंख्यक मामले	1219.00	1136.96	779.99
	चुनिदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			
36	पंचायती राज	5050.00	3717.00	3917.00
	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि			
37	योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1470.00	1200.00	1187.53
	यूआईडीएआई			
38	सासद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	1580.00	2950.00	2507.68

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
				(₹ करोड़)
39	विद्युत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	6000.00	3544.00	2237.31
40	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम सड़क परिवहन और राजमार्ग	2034.00	1668.00	1667.87
41	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (टोल पावती का प्रेषण)	2092.89	2692.89	2692.89
42	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-निवेश	8250.00	8250.00	6187.00
43	अन्य स्कीमें - राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन राजमार्ग	4811.34	4985.34	4518.26
44	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	1600.00	1600.00	1515.22
45	सड़कें और सेतु	2159.26	2159.26	1924.50
46	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय सड़क द्वारा सड़क संपर्क के विकास का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण विकास	1200.00	1200.00	1166.67
47	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	40000.00	10000.00	9868.65
48	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2984.00	2984.00	2665.70
49	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास	10000.00	10000.00	9868.65
50	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	20000.00	20000.00	24873.56
51	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) पेयजल पूर्ति और सफाई मंत्रालय	2914.00	2681.29	2388.92
52	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	9350.00	8500.00	8493.15
53	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भू-संसाधन विभाग	1650.00	1500.00	1499.08
54	एकीकृत जल शेड प्रबंधन कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3049.99	2314.20	2312.25
55	सीएसआईआर को सहायता (राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं)	1500.00	1438.91	1438.91

जारी.....

लेखे एक नज़र में

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
56	सामाजिक न्याय और अधिकारिता अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम	2218.00	2441.70	2711.19
57	वस्त्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी यू एफ एस)	3100.00	3700.00	2935.09
58	जनजातीय कार्य	1197.00	1111.28	1084.83
59	टीएसपी-2 सहायता अनुदान	1096.01	1015.01	977.34
60	जनजातीय उप-योजना	10000.00	14048.00	14256.31
61	महिला और बाल विकास	2000.00	2892.00	2892.00
62	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	3112.57	1703.12	1685.09
	शहरी विकास			
	सभी मेट्रो रेल निगमों को पास थ्रू सहायता			
	सभी मेट्रो रेल निगमों को इक्विटी			
	कुल	333367.75	305000.91	298259.57

परिशिष्ट-5

योजनेतर व्यय

(₹ करोड़)

	2011-12		2010-11	
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
			%	%
क. राजस्व व्यय				
1 ब्याज अदायगियां	284234.60	286982.10	100.97	98.19
सकल	8616.90	13832.22	160.52	126.21
घटाएं प्रोद्भूत ब्याज	275617.70	273149.88	99.10	97.20
निवल	104793.00	103010.90	98.30	101.45
2 रक्षा	208502.94	211335.13	101.36	109.15
3 मुख्य आर्थिक सहायताएं (खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम)	7793.79	6567.31	84.26	95.13
4 ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	5573.11	5716.31	102.57	105.25
5 डाक घाटा	33301.68	33106.49	99.41	99.10
6 पुलिस	56190.31	61165.98	108.86	107.78
7 पेंशन	217.46	188.09	86.49	515.12
8 आम चुनाव	19177.34	19028.92	99.23	88.98
9 अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	19708.54	21178.54	107.46	101.16
10 सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	4525.00	2458.92	54.34	109.55
11 राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल	4525.00	3997.92	88.35	109.55
घटाएं एनसीसीएफ/ एनडीआरएफ से पूरी की गई राशि	0.00	-1539.00		0.00
निवल	3250.26	2686.37	82.65	120.85
12 रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें				

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

	2011-12			2010-11		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13 आर्थिक सेवाएं	20451.37	18934.57	92.58	30024.50	20878.25	69.54
14 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	55322.34	51523.45	93.13	52605.68	49789.92	94.65
15 बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	3734.50	3832.59	102.63	3659.79	3773.88	103.12
16 विदेशी सरकारों को अनुदान	2105.17	2163.15	102.75	2138.53	2256.29	105.51
कुल-राजस्व व्यय	815739.51	812048.68	99.55	726749.07	726490.32	99.96
ख. पूंजीगत व्यय						
1 रक्षा	66143.81	67902.38	102.66	60833.26	62055.99	102.01
2 अन्य योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	9616.82	4209.31	43.77	27695.98	23360.21	84.35
3 सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	593.48	1024.98	172.71	5870.65	6929.31	118.03
4 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	75.00	72.00	95.87	85.00	85.00	100.00
5 विदेशी सरकारों को कर्ज	250.00	248.31	99.32	0.00	0.00	
6 अन्य योजनेतर कर्ज	(-175.70)	6554.46	3730.48	623.26	(-398.46)	
7 बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	(-127.46)	(-170.54)	55.34	(-305.69)	(-259.24)	84.80
कुल-पूंजीगत व्यय	76376.05	79940.90	104.67	94802.46	91772.81	96.80
कुल	892115.56	891989.58	99.99	821551.53	818263.13	99.60

परिशिष्ट-6

वर्ष 2011-12 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
1	कृषि मंत्रालय	185.92
2	कृषि और सहकारिता विभाग	108.61
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	108.61
	पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग	
4	परमाणु ऊर्जा विभाग	186.67
5	परमाणु ऊर्जा	23.95
	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	
6	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	11.90
7	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	12.86
8	उर्वरक विभाग	7.18
	औषध निर्माण विभाग	
9	नागर विमानन मंत्रालय	49.32
	नागर विमानन मंत्रालय	
10	कोयला मंत्रालय	15.01
	कोयला मंत्रालय	
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
11	वाणिज्य विभाग	287.20
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	102.64
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
13	डाक विभाग	9232.31
14	दूरसंचार विभाग	167.29
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	351.17
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
16	उपभोक्ता मामले विभाग	45.07
17	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	47.18

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय	67.77
19	संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय	245.00
20-21	रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय (सिविल)	156.82
22-27	रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	68185.54
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	13.38
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24.47
30	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	138.69
31	विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय	903.75
32	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	58.99
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	47.79
38	व्यय विभाग	41.79
39	पेंशन*	
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	1983.04
41	राजस्व विभाग	153.16
42	प्रत्यक्ष कर	1779.98
43	अप्रत्यक्ष कर	2476.80
44	विनिवेश विभाग	3.24
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2.23

* वेतन और भत्तों के आंकड़े अनुदान संख्या 38 में शामिल हैं।

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1237.15
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	10.40
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	
49	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग *	2.27
	एड्स नियंत्रण	
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
50	भारी उद्योग विभाग	10.86
51	लोक उद्यम विभाग	4.95
	गृह मंत्रालय	
52	गृह मंत्रालय	1419.72
53	मंत्रिमंडल	191.80
54	पुलिस	24364.82
55	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	209.39
56	संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अंतरण	0.00
	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	
57	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	6.43
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
58	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	13.37
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	59.44
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	177.54
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
61	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	286.67
	विधि और न्याय मंत्रालय	
62	निर्वाचन आयोग	14.90
63	विधि और न्याय	83.59
64	भारत का उच्चतम न्यायालय	87.38

जारी.....

* वेतन और भत्तों के आंकड़े अनुदान संख्या 46 में शामिल हैं।

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
65	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	95.41
66	खान मंत्रालय	444.38
67	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	8.76
68	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	18.48
69	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	6.56
70	पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय	4.25
71	संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय	5.50
72	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	381.33
73	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14.25
74	योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय	70.53
75	विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय	78.01
76	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	16.92
77	राष्ट्रपति सचिवालय	229.95
78	लोकसभा राज्यसभा	123.79

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
79	संघ लोक सेवा आयोग	1.63
80	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	1.63
81	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	321.17
82	ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग	22.72
83	भू-संसाधन विभाग	5.19
84	पेयजल पूर्ति विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	4.25
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	286.57
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5.75
87	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	11.97
88	पोत परिवहन मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय	82.87
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	28.57
90	अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विभाग	995.88
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	213.08
92	इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्रालय	12.81
93	वस्त्र मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय	153.96
94	पर्यटन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय	27.46
95	जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय	10.18

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
96	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	919.45
97	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	893.53
98	चंडीगढ़	66.03
99	दादरा एवं नागर हवेली	76.69
100	दमन एवं दीव	131.31
	लक्षद्वीप	
	शहरी विकास मंत्रालय	
100-103	शहरी विकास विभाग	1150.19
	जल संसाधन मंत्रालय	
104	जल संसाधन मंत्रालय	378.82
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	24.44
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
106	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	15.02
	कुल योग	124617.26

परिशिष्ट-7

आर्थिक सहायताओं का विवरण 2011-12

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य आर्थिक सहायताएं -			134210.85	208502.94	211335.13
खाद्य	17	2408	60572.98	72823.00	72822.07
देशी (यूरिया) उर्वरक	7	2852	13308.00	19108.00	20208.00
आयातित (यूरिया) उर्वरक	7	2401	6983.00	13883.00	13716.12
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	7	2401	29706.87	34207.94	36107.94
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	73	2802	23640.00	68481.00	68481.00
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता			6868.47	5791.31	5049.44
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों के लिए ब्याज सहायता-			49.73	49.61	46.82
(क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	92	2852	46.90	46.90	44.11
(ख) मेकन लि.	92	2852	2.83	2.71	2.71
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के वास्ते बैंक वित्तीयन पर ब्याज सहायता	50	2852	14.00	13.91	0.00
गोअन बैंक को ब्याज सहायता	33	2885	0.08	0.04	0.03
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग-			27.36	27.36	27.36
(क) खादी उद्योगों के लिए	65	2851	22.00	22.00	22.00
(ख) अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए	65	2851	5.36	5.36	5.36

जारी.....

लेखे एक नज़र में

		(₹ करोड़)			
श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	33	2235	199.61	190.38	182.04
किसानों को अल्पवधि उधार प्रदान करने के लिए आर्थिक अनुदान	33	2416	4868.00	4000.00	3282.70
निर्यात संवर्धन के अंतर्गत बैंकों को ब्याज संबंधी सहायता	11	3453	1000.00	996.00	996.00
भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता	32	3475	139.69	139.00	139.48
सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	17	2408	30.00	35.01	35.01
नोडल एजेंसियों जैसे आरबीआई एवं एनएचबी को आर्थिक सहायता का भुगतान	33	2885	500.00	300.00	300.00
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को ब्याज सहायता	20	2852	40.00	40.00	40.00
अन्य ब्याज सहायता (ब्योरे अलग से दिए गए हैं)*			2490.35	2002.48	1572.87

*अन्य आर्थिक सहायता 2011-12

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
नेफेड को एमआईएस/पीएसएस के लिए अनुदान	1	2401	200.00	110.00	1.66
हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	9	3053	600.00	685.00	606.02
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता	17	2408	50.00	50.00	11.49
आयातित खाद्य तेल पर हुई हानि के लिए एसटीसी को अदायगी	17	3456	0.01	0.01	0.00
शिपयार्डों को आर्थिक सहायता-			542.12	129.79	122.42
(क) कोचीन शिपयार्ड लि.	88	2852	0.01	0.01	0.00
(ख) गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	88	2852	542.11	129.78	122.42
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	55	3053	40.00	60.00	59.18
असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	6	2852	0.01	0.01	0.00
विनिमय हानि के लिए प्रतिपूर्ति-					
(क) एनआरआई बांड स्कीम के अंतर्गत विनिमय हानि	32	3475	0.50	0.50	0.00
कर्जों को बट्टे खाते डालना - एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई और पीडीआईएल	7	3475	0.01	0.01	0.00
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता	93	2852	36.59	55.00	55.00
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम की अधिप्राप्ति	93	2852	200.00	200.00	21.50
चीनी के निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभागों की प्रतिपूर्ति	17	2408	50.00	25.00	15.00
चीनी उपक्रमों को आर्थिक सहायता देने की स्कीम-2007	17	2408	80.59	46.74	46.74

जारी.....

लेखे एक नज़र में

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	(₹ करोड़)	
					वास्तविक	वास्तविक
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों की देखरेख में कमी की प्रतिपूर्ति खाद्य तेलों के आयात के लिए आर्थिक सहायता समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक सहायता राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र को सहायता दलहन के आयात पर आर्थिक सहायता	17	2408	0.10	0.00	0.00	0.00
	17	2408	366.42	366.42	366.26	366.26
	33	2235	20.00	20.00	13.60	13.60
	88	2852	4.00	4.00	4.00	4.00
	16	2408	300.00	250.00	250.00	250.00
कुल - अन्य आर्थिक सहायताएं			2490.35	2002.48	1572.87	1572.87

परिशिष्ट-8

(₹ करोड़)

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2011-12
(दशार्ण गण आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि और सहकारिता राजस्व पूजीगत	8654.18	8740.82	310.26	194.95	8964.44	8935.77
		8590.98	8693.90	309.66	194.60	8900.64	8888.50
		63.20	46.92	0.60	0.35	63.80	47.27
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा राजस्व पूजीगत	2850.00	2572.98	2157.60	2156.34	5007.60	4729.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1356.52	1230.03	105.33	103.07	1461.85	1333.10
3	पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन राजस्व पूजीगत	1339.88	1219.26	105.33	103.07	1445.21	1322.33
		16.64	10.77	0.00	0.00	16.64	10.77
		4615.00	4289.84	3933.82	4014.21	8548.82	8304.05
4-5	परमाणु ऊर्जा राजस्व पूजीगत	1695.79	1544.26	3183.01	3286.95	4878.80	4831.21
		2919.21	2745.58	750.81	727.26	3670.02	3472.84
		930.00	927.15	432.42	339.04	1362.42	1266.19
6	रसायन और पेट्रो रसायन राजस्व पूजीगत	930.00	927.15	431.30	337.94	1361.30	1265.09
		0.00	0.00	1.12	1.10	1.12	1.10
		225.00	222.30	68000.00	70746.90	68225.00	70969.20
7	उर्वरक राजस्व पूजीगत	7.50	4.81	67999.96	70746.90	68007.46	70751.71
		217.50	217.49	0.04	0.00	217.54	217.49
		77.78	40.33	38.30	37.46	116.08	77.79
8	औषध निर्माण राजस्व पूजीगत	55.33	35.12	38.25	37.46	93.58	72.58
		22.45	5.21	0.05	0.00	22.50	5.21
		1500.00	1357.43	764.86	682.46	2264.86	2039.89
9	नागर विमानन राजस्व पूजीगत	245.80	137.02	764.86	682.46	1010.66	819.48
		1254.20	1220.41	0.00	0.00	1254.20	1220.41

जारी.....

लेखे एक नज़र में

लेखे एक नज़र में

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
10	कोयला	365.00	327.57	47.20	45.60	412.20	373.17
	राजस्व	365.00	327.57	47.20	45.64	412.20	373.21
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04
11	वाणिज्य	1866.00	1794.86	2600.00	2648.74	4466.00	4443.60
	राजस्व	1125.54	1059.67	2600.00	2648.74	3725.54	3708.41
	पूंजीगत	740.46	735.19	0.00	0.00	740.46	735.19
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन	1107.00	1046.11	192.74	188.30	1299.74	1234.41
	राजस्व	1103.00	1044.87	192.74	188.30	1295.74	1233.17
	पूंजीगत	4.00	1.24	0.00	0.00	4.00	1.24
13	डाक	350.00	295.54	5583.11	5720.61	5933.11	6016.15
	राजस्व	96.73	89.61	5573.11	5716.31	5669.84	5805.92
	पूंजीगत	253.27	205.93	10.00	4.30	263.27	210.23
14	दूरसंचार	1950.48	1891.42	4832.61	5112.79	6783.09	7004.21
	राजस्व	1872.90	1833.55	4832.61	5112.79	6705.51	6946.34
	पूंजीगत	77.58	57.87	0.00	0.00	77.58	57.87
15	सूचना प्रौद्योगिकी	2254.00	2020.94	48.60	43.49	2302.60	2064.43
	राजस्व	2093.10	1881.51	48.60	43.49	2141.70	1925.00
	पूंजीगत	160.90	139.43	0.00	0.00	160.90	139.43
16	उपभोक्ता मामले	185.00	172.78	306.31	304.56	491.31	477.34
	राजस्व	159.62	150.64	306.31	304.56	465.93	455.20
	पूंजीगत	25.38	22.14	0.00	0.00	25.38	22.14

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल			
		संशोधित अनुमान		वास्तविक		संशोधित अनुमान		वास्तविक	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण राजस्व पूंजीगत	93.48 30.23 63.25	91.17 29.23 61.94	73714.36 73714.36 0.00	73708.95 73708.95 0.00	73807.84 73744.59 63.25	73800.12 73738.18 61.94		
18	कारपोरेट कार्य राजस्व पूंजीगत	28.00 3.00 25.00	27.99 3.00 24.99	210.94 196.94 14.00	199.97 187.88 12.09	238.94 199.94 39.00	227.96 190.88 37.08		
19	संस्कृति राजस्व पूंजीगत	805.00 765.00 40.00	748.41 727.60 20.81	573.00 573.00 0.00	560.69 560.69 0.00	1378.00 1338.00 40.00	1309.10 1288.29 20.81		
20-21	रक्षा (सिविल अनुमान) राजस्व पूंजीगत	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	38272.84 36603.59 1669.25	42760.00 41136.22 1623.78	38272.84 36603.59 1669.25	42760.00 41136.22 1623.78		
22-27	रक्षा सेवाएं राजस्व पूंजीगत	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	170936.81 104793.00 66143.81	170913.28 103010.90 67902.38	170936.81 104793.00 66143.81	170913.28 103010.90 67902.38		
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राजस्व पूंजीगत	91.00 31.00 60.00	440.53 380.53 60.00	23.27 19.27 4.00	23.11 19.11 4.00	114.27 50.27 64.00	463.64 399.64 64.00		
29	पृथ्वी विज्ञान राजस्व पूंजीगत	855.00 737.10 117.90	818.72 717.81 100.91	368.00 367.76 0.24	351.55 351.49 0.06	1223.00 1104.86 118.14	1170.27 1069.30 100.97		
30	पर्यावरण और वन राजस्व पूंजीगत	1902.00 1794.50 107.50	1822.62 1728.33 94.29	191.97 176.79 15.18	159.45 144.36 15.09	2093.97 1971.29 122.68	1982.07 1872.69 109.38		

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
31	विदेश मंत्रालय राजस्व पूजीगत	1125.00	1103.77	6711.00	6751.04	7836.00	7854.81
		334.00	312.78	6111.00	6157.43	6445.00	6470.21
		791.00	790.99	600.00	593.61	1391.00	1384.60
32	आर्थिक कार्य राजस्व पूजीगत	2926.02	2926.02	4380.15	6252.17	7306.17	9178.19
		2626.02	2626.02	3931.37	3364.36	6557.39	5990.38
		300.00	300.00	448.78	2887.81	748.78	3187.81
33	वित्तीय सेवाएं राजस्व पूजीगत	14200.00	14497.43	5761.97	3581.78	19961.97	18079.21
		200.00	200.00	5747.96	3567.78	5947.96	3767.78
		14000.00	14297.43	14.01	14.00	14014.01	14311.43
34-37	आर्थिक कार्य (केंद्रीयकृत प्रावधान) राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	323319.52	316257.48	323319.52	316257.48
		0.00	0.00	323514.52	316443.10	323514.52	316443.10
		0.00	0.00	-195.00	-185.62	-195.00	-185.62
38-40	व्यय राजस्व पूजीगत	3.48	3.48	19442.65	20366.03	19446.13	20369.51
		2.45	2.45	19438.65	20365.41	19441.10	20367.86
		1.03	1.03	4.00	0.62	5.03	1.65
41-43	राजस्व राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	11569.35	11316.85	11569.35	11316.85
		0.00	0.00	11151.92	11010.39	11151.92	11010.39
		0.00	0.00	417.43	306.46	417.43	306.46
44	वित्तियेश राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	50.58	29.56	50.58	29.56
		0.00	0.00	50.58	29.56	50.58	29.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राजस्व पूंजीगत	550.00	515.07	10.09	8.73	560.09	523.80
		549.99	515.07	10.09	8.73	560.08	523.80
		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजस्व पूंजीगत	21577.00	20669.35	3677.00	3685.71	25254.00	24355.06
		20274.14	19596.38	3677.00	3686.17	23951.14	23282.55
		1302.86	1072.97	0.00	-0.46	1302.86	1072.51
47	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) राजस्व पूंजीगत	650.00	611.46	178.80	171.72	828.80	783.18
		625.60	587.46	178.80	171.72	804.40	759.18
		24.40	24.00	0.00	0.00	24.40	24.00
48	स्वास्थ्य अनुसंधान राजस्व पूंजीगत	588.26	564.50	182.00	181.93	770.26	746.43
		588.26	564.50	182.00	181.93	770.26	746.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	एड्स नियंत्रण राजस्व पूंजीगत	1500.00	1313.86	0.00	0.00	1500.00	1313.86
		1499.00	1313.68	0.00	0.00	1499.00	1313.68
		1.00	0.18	0.00	0.00	1.00	0.18
50	भारी उद्योग राजस्व पूंजीगत	396.80	357.04	450.33	315.86	847.13	672.90
		357.12	357.04	50.52	23.99	407.64	381.03
		39.68	0.00	399.81	291.87	439.49	291.87
51	सार्वजनिक उद्यम राजस्व पूंजीगत	10.16	8.98	8.29	7.94	18.45	16.92
		10.16	8.98	8.29	7.94	18.45	16.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
52-56	गृह राजस्व पूजीगत	6151.55	5919.34	39917.75	39452.87	46069.30	45372.21
		2242.55	2065.43	37772.97	37655.00	40015.52	39720.43
		3909.00	3853.91	2144.78	1797.87	6053.78	5651.78
57	आवास और शहरी गरीबी निवारण राजस्व पूजीगत	1000.00	950.43	7.60	6.67	1007.60	957.10
		1000.00	950.43	7.60	6.67	1007.60	957.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता राजस्व पूजीगत	38957.00	38079.56	2564.00	2561.81	41521.00	40641.37
		38957.00	38079.56	2564.00	2561.81	41521.00	40641.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	उच्चतर शिक्षा राजस्व पूजीगत	12812.00	12575.35	7032.00	6929.70	19844.00	19505.05
		12812.00	12575.35	7032.00	6929.70	19844.00	19505.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	सूचना और प्रसारण राजस्व पूजीगत	786.72	755.59	1818.06	1813.08	2604.78	2568.67
		336.80	318.37	1818.06	1813.08	2154.86	2131.45
		449.92	437.22	0.00	0.00	449.92	437.22
61	श्रम और रोजगार राजस्व पूजीगत	1202.66	1454.75	1861.00	1863.08	3063.66	3317.83
		1198.75	1451.23	1860.04	1862.37	3058.79	3313.60
		3.91	3.52	0.96	0.71	4.87	4.23
62	निर्वाचन आयोग राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	34.20	34.17	34.20	34.17
		0.00	0.00	34.20	34.17	34.20	34.17
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
63	विधि और न्याय राजस्व पूँजीगत	772.00	675.80	429.00	347.63	1201.00	1023.43
		772.00	675.80	413.98	347.63	1185.98	1023.43
		0.00	0.00	15.02	0.00	15.02	0.00
64	भारत का उच्चतम न्यायालय राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	112.75	109.55	112.75	109.55
		0.00	0.00	112.75	109.55	112.75	109.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व पूँजीगत	2457.00	1938.80	302.25	301.62	2759.25	2240.42
		2294.00	1781.34	301.45	301.36	2595.45	2082.70
		163.00	157.46	0.80	0.26	163.80	157.72
66	खान राजस्व पूँजीगत	375.36	368.38	436.95	434.99	812.31	803.37
		174.79	169.92	436.95	434.99	611.74	604.91
		200.57	198.46	0.00	0.00	200.57	198.46
67	अल्पसंख्यक मामले राजस्व पूँजीगत	2750.00	2283.16	16.46	14.37	2766.46	2297.53
		2635.00	2168.16	16.46	14.37	2651.46	2182.53
		115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00
68	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राजस्व पूँजीगत	1198.00	1183.79	14.38	12.98	1212.38	1196.77
		1127.50	1113.46	14.38	12.98	1141.88	1126.44
		70.50	70.33	0.00	0.00	70.50	70.33
69	प्रवासी भारतीय कार्य राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	81.00	77.49	81.00	77.49
		0.00	0.00	60.80	63.96	60.80	63.96
		0.00	0.00	20.20	13.53	20.20	13.53

जारी.....

लेखे एक नज़र में

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना				योजनेतर				कुल	
		संशोधित अनुमान		वास्तविक		संशोधित अनुमान		वास्तविक		संशोधित अनुमान	वास्तविक
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
70	पंचायती राज	196.76	190.04	0.65	0.41	197.41	190.45	0.00	0.00	197.41	190.45
	राजस्व	196.76	190.04	0.65	0.41	197.41	190.45	0.00	0.00	197.41	190.45
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	संसदीय कार्य	0.00	0.00	10.48	8.96	10.48	8.96	0.00	0.00	10.48	8.96
	राजस्व	0.00	0.00	10.48	8.96	10.48	8.96	0.00	0.00	10.48	8.96
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	183.12	161.07	572.81	558.18	703.25	667.11	52.68	52.14	755.93	719.25
	राजस्व	131.06	109.45	572.19	557.66	703.25	667.11	52.68	52.14	755.93	719.25
	पूँजीगत	52.06	51.62	0.62	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	40.00	0.00	70100.06	70099.72	68554.31	68513.98	1585.75	1585.74	70140.06	70099.72
	राजस्व	40.00	0.00	68514.31	68513.98	68554.31	68513.98	1585.75	1585.74	70140.06	70099.72
	पूँजीगत	0.00	0.00	1585.75	1585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	योजना	1330.00	1257.81	76.00	70.56	944.39	1076.87	461.61	251.50	1406.00	1328.37
	राजस्व	868.39	1006.31	76.00	70.56	944.39	1076.87	461.61	251.50	1406.00	1328.37
	पूँजीगत	461.61	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	विद्युत	6051.00	4625.39	-183.69	-309.57	3633.19	2108.87	2234.12	2206.95	5867.31	4315.82
	राजस्व	3816.88	2418.44	-183.69	-309.57	3633.19	2108.87	2234.12	2206.95	5867.31	4315.82
	पूँजीगत	2234.12	2206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76-80	राष्ट्रपति संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	0.00	0.00	868.76	813.23	868.76	813.23	0.00	0.00	868.76	813.23
	राजस्व	0.00	0.00	868.76	813.23	868.76	813.23	0.00	0.00	868.76	813.23
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग राजस्व पूँजीगत	20119.01	20104.93	4283.06	4043.22	24402.07	24148.15
		12604.53	13056.30	2499.85	2292.00	15104.38	15348.30
		7514.48	7048.63	1783.21	1751.22	9297.69	8799.85
82	ग्रामीण विकास राजस्व पूँजीगत	67138.54	64218.98	44.78	44.47	67183.32	64263.45
		67138.54	64218.98	44.78	44.47	67183.32	64263.45
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	भू-संसाधन राजस्व पूँजीगत	2425.00	2418.84	7.00	6.92	2432.00	2425.76
		2425.00	2418.84	7.00	6.92	2432.00	2425.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	पेयजल और स्वच्छता राजस्व पूँजीगत	10000.00	9992.89	5.24	4.82	10005.24	9997.71
		10000.00	9992.89	5.24	4.82	10005.24	9997.71
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्व पूँजीगत	2252.00	2167.18	353.50	344.48	2605.50	2511.66
		2206.95	2130.32	352.30	343.82	2559.25	2474.14
		45.05	36.86	1.20	0.66	46.25	37.52
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राजस्व पूँजीगत	1830.00	1828.59	1387.00	1386.11	3217.00	3214.70
		1824.00	1822.91	1387.00	1386.11	3211.00	3209.02
		6.00	5.68	0.00	0.00	6.00	5.68
87	जैव प्रौद्योगिकी राजस्व पूँजीगत	1350.00	1182.39	26.70	26.04	1376.70	1208.43
		1350.00	1182.39	26.70	26.04	1376.70	1208.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

लेखे एक नज़र में

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना				योजनेतर				कुल	
		संशोधित अनुमान		वास्तविक		संशोधित अनुमान		वास्तविक		संशोधित अनुमान	वास्तविक
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
88	पोत परिवहन	447.20	330.76	506.17	1099.94	953.37	1430.70	1239.72	190.98		
	राजस्व	128.65	121.99	541.96	1117.73	670.61					
	पूँजीगत	318.55	208.77	-35.79	-17.79	282.76					
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	5123.00	4944.95	87.00	84.31	5210.00	5029.26	4784.26	245.00		
	राजस्व	4878.00	4699.95	87.00	84.31	4965.00					
	पूँजीगत	245.00	245.00	0.00	0.00	245.00					
90	अंतरिक्ष	3432.00	2785.08	1000.00	999.19	4432.00	3784.27	2760.49	1023.78		
	राजस्व	2002.49	1761.30	1000.00	999.19	3002.49					
	पूँजीगत	1429.51	1023.78	0.00	0.00	1429.51					
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	458.00	262.27	340.30	353.51	798.30	615.78	611.06	4.72		
	राजस्व	436.43	257.55	340.30	353.51	776.73					
	पूँजीगत	21.57	4.72	0.00	0.00	21.57					
92	इस्पात	30.00	9.63	204.94	64.41	234.94	74.04	74.04	0.00		
	राजस्व	29.00	9.63	204.94	64.41	233.94					
	पूँजीगत	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
93	कृषि	5503.30	4207.80	942.27	769.39	6445.57	4977.19	4799.55	177.64		
	राजस्व	5472.35	4188.40	778.52	611.15	6250.87					
	पूँजीगत	30.95	19.40	163.75	158.24	194.70					
94	पर्यटन	1050.00	1050.77	65.00	63.32	1115.00	1114.09	1110.09	4.01		
	राजस्व	1045.99	1046.77	65.00	63.32	1110.99					
	पूँजीगत	4.01	4.00	0.00	0.00	4.01					

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
95	जनजातीय कार्य राजस्व पूँजीगत	1596.72	1561.70	17.00	14.84	1613.72	1576.54
		1526.72	1491.70	17.00	14.84	1543.72	1506.54
		70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00
101-103	शहरी विकास राजस्व पूँजीगत	6196.45	6151.90	2453.28	2467.09	8649.73	8618.99
		448.42	422.21	2002.20	2015.81	2450.62	2438.02
		5748.03	5729.69	451.08	451.28	6199.11	6180.97
104	जल संसाधन राजस्व पूँजीगत	620.00	575.53	502.73	467.54	1122.73	1043.07
		535.75	493.37	500.93	469.29	1036.68	962.66
		84.25	82.16	1.80	-1.75	86.05	80.41
105	महिला एवं बाल विकास राजस्व पूँजीगत	16100.00	15592.24	83.00	78.91	16183.00	15671.15
		16100.00	15592.24	83.00	78.91	16183.00	15671.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	युवा मामले और खेल राजस्व पूँजीगत	884.00	866.21	106.00	104.10	990.00	970.31
		881.95	878.79	106.00	104.10	987.95	982.89
		2.05	-12.58	0.00	0.00	2.05	-12.58
	रेलवे राजस्व पूँजीगत (शीर्ष 5002 और 5003)	23000.00	23013.44	0.00	0.00	23000.00	23013.44
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23000.00	23013.44	0.00	0.00	23000.00	23013.44

जारी.....

लेखे एक नज़र में

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
I	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग कुल राजस्व पूंजीगत	321405.55	309135.84	887873.52	887566.43	1209279.07	1196702.27
		252596.99	242052.60	811442.01	807627.28	1064039.00	1049679.88
		68808.56	67083.24	76431.51	79939.15	145240.07	147022.39
II	राज्य योजनाएं (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सहित) कुल राजस्व पूंजीगत	101105.03	99442.39	0.00	0.00	101105.03	99442.39
		91038.03	89385.11	0.00	0.00	91038.03	89385.11
		10067.00	10057.28	0.00	0.00	10067.00	10057.28
	राज्य योजनाएं राजस्व पूंजीगत	99555.03	98256.23	0.00	0.00	99555.03	98256.23
		89555.03	88260.87	0.00	0.00	89555.03	88260.87
		10000.00	9995.36	0.00	0.00	10000.00	9995.36
1	कृषि और सहकारिता राजस्व पूंजीगत	7860.87	7782.75	0.00	0.00	7860.87	7782.75
		7860.87	7782.75	0.00	0.00	7860.87	7782.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	वित्त - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण राजस्व पूंजीगत	80741.61	80075.79	0.00	0.00	80741.61	80075.79
		70741.61	70080.43	0.00	0.00	70741.61	70080.43
		10000.00	9995.36	0.00	0.00	10000.00	9995.36
70	पंचायती राज राजस्व पूंजीगत	3717.00	3917.00	0.00	0.00	3717.00	3917.00
		3717.00	3917.00	0.00	0.00	3717.00	3917.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग राजस्व पूँजीगत	2159.26	1924.50	0.00	0.00	2159.26	1924.50
		2159.26	1924.50	0.00	0.00	2159.26	1924.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राजस्व पूँजीगत	2950.00	2507.68	0.00	0.00	2950.00	2507.68
		2950.00	2507.68	0.00	0.00	2950.00	2507.68
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	जनजातीय मामले राजस्व पूँजीगत	2126.29	2048.51	0.00	0.00	2126.29	2048.51
		2126.29	2048.51	0.00	0.00	2126.29	2048.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग राजस्व पूँजीगत	1550.00	1186.16	0.00	0.00	1550.00	1186.16
		1483.00	1124.24	0.00	0.00	1483.00	1124.24
		67.00	61.92	0.00	0.00	67.00	61.92
	उत्तर पूर्व क्षेत्र राजस्व पूँजीगत	751.00	387.17	0.00	0.00	751.00	387.17
		684.00	325.25	0.00	0.00	684.00	325.25
		67.00	61.92	0.00	0.00	67.00	61.92
	उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल राजस्व पूँजीगत	799.00	798.99	0.00	0.00	799.00	798.99
		799.00	798.99	0.00	0.00	799.00	798.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
III	संघ राज्य क्षेत्र (क + ख) राजस्व पूँजीगत	4093.57 2565.59 1527.98	3797.01 2298.81 1498.20	4242.04 4297.50 -55.46	4423.16 4421.40 1.76	8335.61 6863.09 1472.52	8220.17 6720.21 1499.96
क	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र राजस्व पूँजीगत	1052.65 1052.65 0.00	843.77 843.77 0.00	635.00 563.00 72.00	640.00 568.00 72.00	1687.65 1615.65 72.00	1483.77 1411.77 72.00
56	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजस्व पूँजीगत	769.37 769.37 0.00	577.68 577.68 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	769.37 769.37 0.00	577.68 577.68 0.00
56	पुदुचेरी राजस्व पूँजीगत	283.28 283.28 0.00	266.09 266.09 0.00	635.00 563.00 72.00	640.00 568.00 72.00	918.28 846.28 72.00	906.09 834.09 72.00
ख	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र राजस्व पूँजीगत	3040.92 1512.94 1527.98	2953.24 1455.04 1498.20	3607.04 3734.50 -127.46	3783.16 3853.40 -70.24	6647.96 5247.44 1400.52	6736.40 5308.44 1427.96
96	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह राजस्व पूँजीगत	1322.39 857.31 465.08	1286.40 843.90 442.50	1234.31 1213.92 20.39	1240.83 1218.62 22.21	2556.70 2071.23 485.47	2527.23 2062.52 464.71
97	चंडीगढ़ राजस्व पूँजीगत	666.61 200.06 466.55	627.96 165.16 462.80	1769.16 1924.62 -155.46	1819.97 1921.87 -101.90	2435.77 2124.68 311.09	2447.93 2087.03 360.90

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
98	दादरा और नागर हवेली राजस्व पूंजीगत	336.35	331.25	100.91	103.23	437.26	434.48
		183.84	180.07	97.09	98.10	280.93	278.17
		152.51	151.18	3.82	5.13	156.33	156.31
99	दमन और दीव राजस्व पूंजीगत	326.62	324.76	106.40	130.01	433.02	454.77
		150.03	148.18	105.73	129.34	255.76	277.52
		176.59	176.58	0.67	0.67	177.26	177.25
100	लक्षद्वीप राजस्व पूंजीगत	388.95	382.87	396.26	489.12	785.21	871.99
		121.70	117.73	393.14	485.47	514.84	603.20
		267.25	265.14	3.12	3.65	270.37	268.79
IV	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल केंद्रीय सहायता (II + III) राजस्व पूंजीगत	105198.60	103239.40	4242.04	4423.16	109440.64	107662.56
		93603.62	91683.92	4297.50	4421.40	97901.12	96105.32
		11594.98	11555.48	-55.46	1.76	11539.52	11557.24
	कुल योग (I + IV) राजस्व पूंजीगत	426604.15	412375.24	892115.56	891989.59	1318719.71	1304364.83
		346200.61	333736.52	815739.51	812048.68	1161940.12	1145785.20
		80403.54	78638.72	76376.05	79940.91	156779.59	158579.63

लेखे एक नज़र में

परिशिष्ट-9

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	₹ करोड़
31.3.2012 तक परिपक्व होने वाले	90,619
2013 में परिपक्वता	70,735
2014 में परिपक्वता	151,862
2015 में परिपक्वता	200,674
2016 में परिपक्वता	187,130
2017 में परिपक्वता	253,887
2018 में परिपक्वता	157,235
2019 में परिपक्वता	118,000
2020 में परिपक्वता	134,000
2021 में परिपक्वता	199,213
2022 में परिपक्वता	234,097
2023 में परिपक्वता	19,000
2024 में परिपक्वता	58,000
2026 में परिपक्वता	15,000
2027 में परिपक्वता	157,068
2028 में परिपक्वता	26,000
2030 में परिपक्वता	19,000
2032 में परिपक्वता	140,644
2034 में परिपक्वता	60,000
2035 में परिपक्वता	42,350
2036 में परिपक्वता	59,000
2039 में परिपक्वता	13,000
2040 में परिपक्वता	72,000
2041 में परिपक्वता	18,000
कुल	2,51,6514

परिशिष्ट-10

वर्ष 2010-11 के लिए ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	स्वीकृत	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
001	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	17776.21		17305.18		471.03	
003	पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	2021.25		1647.46		373.79	
004	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5636.46	3448.86	5394.36	2629.88	242.10	818.98
005	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	स्वीकृत		1087.40		897.28		190.12
006	रसायन और पेट्रोसायन विभाग	स्वीकृत	1419.83		1274.57		145.26	
008	औषध निर्माण विभाग	स्वीकृत	190.51		72.59		117.92	
009	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	1010.70	1393.00	819.48	1220.41	191.22	172.59
011	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	5629.41	930.98	3738.23	736.08	1891.18	194.90
012	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	स्वीकृत	1481.05		1233.72		247.33	
014	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	8745.83	1027.96	8634.29	57.87	111.54	970.09
015	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	2871.23		1935.15		936.08	
016	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	588.40		484.36		104.04	
020	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	13403.35		13296.26		107.09	

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम	स्वीकृत	अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
028 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	1631.58	1523.87			107.71	
029 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	1284.96	284.20	1073.63	100.97	211.33	183.23
030 पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	2661.36		2160.51		500.85	
032 आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	8070.63	25804.18	7085.77	13805.68	984.86	11998.50
033 वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	16391.96		6511.61		9880.35	
035 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	प्रभारित	49298.62	13000.00	43972.67	9995.36	5325.95	3004.64
	स्वीकृत	91403.62	10000.00	82926.83		8476.79	10000.00
037 विनियोग ऋण की पुनर्दायगी	प्रभारित		3524713.20				28784.50
041 राजस्व विभाग	स्वीकृत	13339.02		5256.95		8082.07	
042 प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		905.70		261.00		644.70
046 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	26912.38	1989.13	24781.76	1072.97	2130.62	916.16
047 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी विभाग	स्वीकृत	1064.08		760.33		303.75	
049 एड्स नियंत्रण विभाग	स्वीकृत	1699.00		1313.68		385.32	
050 भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत		439.92				148.05

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम	स्वीकृत	अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
052 गृह मंत्रालय	स्वीकृत	4921.61		3093.14		1828.47	
053 मंत्रिमंडल	स्वीकृत		186.25		71.21		115.04
054 पुलिस	स्वीकृत	34802.56	8464.47	34433.23	5481.44	369.33	2983.03
056 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	2058.29		1416.39		641.90	
057 आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	स्वीकृत	1107.63		960.49		147.14	
058 विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	60158.65		59149.57		1009.08	
059 उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	21981.74		19646.14		2335.60	
060 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत		596.17		445.85		150.32
061 श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	3789.20	746.00	3489.43	522.47	299.77	223.53
063 विधि और न्याय	स्वीकृत	1417.28		1025.64		391.64	
065 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	2834.54		2162.23		672.31	
067 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	2751.01		2182.78		568.23	
070 पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	5250.66		4107.45		1143.21	

जारी.....

लेखे एक नज़र में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम	स्वीकृत	अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
074 योजना मंत्रालय	स्वीकृत		731.62		251.50		480.12
075 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	12018.97	3041.81	4737.92	2354.38	7281.05	687.43
081 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	20026.47	22221.38	19374.64	18938.74	651.83	3282.64
082 ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	149209.75		106841.29		42368.46	
083 भू-संसाधन विभाग	स्वीकृत	2706.20		2425.76		280.44	
084 पेय जल पूर्ति विभाग	स्वीकृत	11005.24		9997.70		1007.54	
085 विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग	स्वीकृत	2695.91		2483.91		212.00	
086 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	3378.52		3209.02		169.50	
087 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	1426.96		1208.43		218.53	
088 पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	2086.54	623.68	1432.65	231.22	653.89	392.46
089 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	5183.05		4849.08		333.97	
090 अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	3676.97	2948.19	2760.43	1030.16	916.54	1918.03

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम	अनुदान / विनियोग की राशि				व्यय		बचत	
	राजस्व		पूंजीगत		राजस्व		पूंजीगत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
091 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4880.83		3118.95		1761.88			
092 इस्पात मंत्रालय	236.52		80.98		155.54			
093 वस्त्र मंत्रालय	6099.24		4878.69		1220.55			
095 जनजातीय कार्य मंत्रालय	3311.25		3211.24		100.01			
096 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		604.33		467.36				136.97
101 शहरी विकास विभाग	1232.54		1081.24		151.30			
104 जल संसाधन मंत्रालय	1150.06		983.86		166.20			
105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	16183.04		15676.06		506.98			
106 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1117.01		984.71		132.30			

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय
7वां तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003 (भारत)
दूरभाष : 91-11-24641121, फ़ैक्स : 91-11-24698319
वेबसाइट : www.cga.nic.in